उत्तर प्रदेश शासन
आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1
संख्या-46/1245/78-1-2013-179आई0टी0/2013
लखनऊ: दिनांक: 25 नवम्बर, 2013

संयुक्त सचिव,
शिक्षा अनुभाग-5
उ0प्र0 शासन।

रिट याचिका संख्या-1393(एस0बी0)/2013 ओम प्रकाश तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किये जाने हेतु प्रस्तरवार टिप्पणी/आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक कृपया अपने अशासकीय पत्र संख्या-4014/79-5-2013, दिनांक 13-11-2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त रिट याचिका में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग को प्रतिवादी नहीं बनाया गया है। रिट याचिका के अवलोकन से विदित होता है कि याची मूलत: उ0प्र0 कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स फेडरेशन लि0 का कर्मचारी है जिसे स्पिनिंग मिल के बन्द होने के फलस्वरूप उ0प्र0 सभी के लिये परियोजना परिषद में प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया गया है।

3- याची द्वारा अपट्रान इण्डिया लि0 के बन्द होने के फलस्वरूप वहाँ के कर्मचारी, जो पूर्व से अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर तैनाते थे, को जिस प्रकार समायोजित/आमेलित किया गया है, के आधार पर स्वयं को भी सर्वशिक्षा अभियान में ही आमेलित किये जाने का अनुरोध किया है। उल्लेखनीय है कि अपट्रान इण्डिया लि0 के बन्द होने फलस्वरूप वहाँ के कर्मचारियों को मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरान्त सरकारी विभागों/बाडीशपिंग के आधार पर कार्यरत अपट्रान कार्मिकों को उन्हीं विभागों में समायोजित किये जाने का निर्णय लिया गया था। उक्त निर्णय के अनुपालन में उत्तर प्रदेश अपट्रान इण्डिया लि0 के सरप्लस कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन नियमावली, 2011 का शासनादेश संख्या–1478/78-1-2011-51इले0/92टीसी-5, दिनांक 20-12-2011 निर्गत किया गया है।(प्रति संलग्न)

4- उक्त नियमावली से अपट्रान इण्डिया लि0 के कर्मचारी ही आच्छादित हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

(निर्मला श्रीवास्तव)
अनु सचिव।